UPJS010066982023

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

पीठासीन–पी० एऩ० मिश्र, एच०जे०एस०

(JO Code No–UP06548)

सत्र वाद संख्या–1361/2023

सरकार बनाम राहुल आदि

अ०सं०–५७/२०२२
धारा–३०७, ३४१ भा०द०सं०
थाना–बरूआसागर, जिला झाँसी।

दिनांकः११.०३.२०२४

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र १३बी एवं १८बी पर सुना गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र १३बी –

आवेदक/अभियुक्त राहुल रायकवार की ओर से उन्मोचन प्रार्थना पत्र १३बी इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना शिव मंदिर बरूआसागर के पास की बतायी गयी है, जहाम पर प्रायः लोगों का आना जाना बना रहता है तथा मंदिर में भी पूर्जा अर्चना करने वाले व्यक्तियों का आना जाना रहता है , लेकिन तथाकथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी न होना घटना को पूर्णतया संदिग्ध प्रतीत करता है। आवेदक ने वादी के साथ कोई मारपीट नहीं की और न ही कोई घटना कारित की है और न ही वादी के ऊपर कोई जानलेवा हमला किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार भी आवेदक द्वारा फायर करना नहीं बताया गया है। आवेदक को मकान की रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है, क्योंकि आवेदक की नानी ने अपनी बेटी आवेदक की मां के नाम मकान की वसीयत कर दी थी और आवेदक के सगे मामा अशोक व उनके दोनों पुत्र विपिन व नितिन व उनकी पुत्री दीक्षा इस बात से काफी नाराज रहती थी और रंजिश मानती थी। आवेदक के मामा का देहान्त १५ नवम्बर २०२१ को हो जाने के पश्चात उनके दोनों पुत्र व पुत्री ने आवेदक को झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकियां दी कि जब वह जेल में रहेगा तो वसीयत का क्या करोगो और आवेदक १८ साल का होते ही रंजिश के कारण आवेदक के सगे मामा की लड़की दीक्षा जो पाल कॉलोनी झांसी में रहती है, ने अपने मिलने वाले पाल कॉलोनी निवासी नीरज साहू से मिलकर आवेदक को झूठा नामजद किया है। आवेदक के विरूद्ध कथित धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। जिस स्थान पर घटना कारित होना बताया जाता है वहां चारों ओर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगे हुये है, अभियोजन ने जानबूझकर कैमरे की फुटैज को विवेचना में शामिल नहीं किया है, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी स्पष्ट झूठी लगती है।

एवं आवेदकगण रोहित रायकवार एवं राजाराम रायकवार की ओर से उन्मोचन प्रार्थनापत्र १८बी प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदकगण द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है, वह निर्दोष है। थाने पर दी गयी तहरीर में लेखक का नाम दीपक साहू अंकित है तथा आवेदक के रूप में वादी नीरज साहू का नाम अंकित है तथा तहरीर पर जो वादी नीरज साहू के हस्ताक्षर है, उन्हें देखने से व मिलान करने से स्पष्ट होता है कि जिस व्यक्ति द्वारा तहरीर लिखी है, उसी के द्वारा वादी के हस्ताक्षर फर्जी बनाये गये है। कथित घटना में पुलिस ने अपनी कार्यगुजारी दिखाने के लिये झूठी

बरामदगी दिखायी है। आवेदकगण द्वारा कोई घटना कारित की गयी होती तो निश्चित ही वह घटना में प्रयुक्त असलहा कहीं फेंक देता या नष्ट कर देता, थैले में लेकर इस उम्मीद में नही घूमता कि जब मुझे पुलिस गिरफ्तार करेगी तो मैं यह घटना में प्रयुक्त असलहा मय जिन्दा कारतूस एवं खोखा कारतूस के पुलिस को बरामद करा दूंगा। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं बताया गया है। विवेचक द्वारा अपनी कारगुजारी दिखाने के उद्देश्य से उक्त गवाहों के झूठे बयान अंकित किये गये है। अभियुक्त राजाराम आंख के रोग से पीड़ित व्यक्ति है, जिसको ठीस से दिखाई भी नहीं देता है, तो फिर वह घटना कैसे कारित कर सकता है, इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा कोई घटना कारित नहीं की है। वादी मुकदमा नीरज साहू एक आपराधिक एवं दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके विरूद्ध सम्बन्धित न्यायालयों में कई मुकदमें विचाराधीन है तथा इसके विरूद्ध गैंगस्टर का भी मुकदमा सम्बन्धित न्यायालय में विचाराधीन है, जिससे स्पष्ट है कि वादी मुकदमा के साथ अन्य किसी व्यक्तियों द्वारा घटना कारित की गयी और वादी मुकदमा द्वारा अपने मामा व अन्य लोगों से सलाह मशवरा करके आवेदकगण के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी है। उक्त आधारों पर प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र १३बी एवं १८बी स्वीकार कर, उपरोक्त प्रकरण में आवेदकगण को उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी हैं।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण राहुल, रोहित रायकवार एवं राजाराम रायकवार के विरूद्ध धारा–३४१, ३०७ भा.द.सं. के अन्तर्गत मामला पंजीकृत हुआ। अभियोजन के अनुसार कथित घटना में अभियुक्तगण ने मजरूब की गाड़ी रूकवाकर उसकी मारपीट की और जैसे ही मजरूब/वादी मुकदमा ने भागने का प्रयास किया तो सहअभियुक्त रोहित ने जान से मारने की नियत से गोली मार दी और मौके से भाग गये। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाते हुये अन्तर्गत धारा–३०७, ३४१ भा.द.सं. में सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रेषित किया गया। चिकित्सीय आख्या के अनुसार मजरूब की चोटें आग्नेयास्त्र से आना दर्शित है। सम्बन्धित न्यायालय द्वारा आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लेते हुए प्रकरण को सत्र सुपुर्द किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा–३०७, ३४१ भा०द०सं० के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। अतः अभियुक्तगण को उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोपित किया जाये।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी तथा अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रश्नगत आपराधिक घटना के सम्बन्ध में प्रपत्रों के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत की गयी तहरीर के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–३०७, ३४१ भा.द.सं. में पंजीकृत हुआ है। अभियोजन के अनुसार कथित घटना में आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा मजरूब की गाड़ी रूकवाकर उसकी मारपीट की गयी और जैसे ही मजरूब/वादी मुकदमा ने भागने का प्रयास किया तो सहअभियुक्त रोहित द्वारा जान से मारने की नियत से गोली मारकर मौके से भाग जाने का अपराध करना बताया गया है। चिकित्सीय आख्या के अनुसार मजरूब को आयी चोटें आग्नेयास्त्र से आना अंकित किया गया है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण राहुल, रोहित रायकवार एवं राजाराम रायकवार के विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाते हुये अन्तर्गत धारा–३०७, ३४१ भा.द.सं. में सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रेषित है, जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाँसी द्वारा प्रसंज्ञान लेते हुए पत्रावली सत्र सुपुर्द की गयी।

विधि व्यवस्था **तमिलनाडु राज्य बनाम सुरेश राजन एवं अन्य २०१४ (८४) ए०सी०सी० ६५६** के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि

उन्मोचन प्रार्थनापत्र के निस्तारण के प्रकरण में न्यायालय को इस उपधारणा के साथ अग्रसर होना चाहिए कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सामग्री सत्य है। उन सामग्रियों एवं दस्तावेजी का जो अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं इस दृष्टि से मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या उनके उदभूत होने वाले तथ्यों से अभ्यारोपित आरोप के तथ्य उदघाटित होते हैं परन्तु इसके लिए उन सामग्रियों अथवा दस्तावेजी की गहनता से परीक्षण आवश्यक नहीं है, वरन उनसे प्रथमदृष्टया अपराध का प्रकटीकरण ही पर्याप्त है। विधि इस प्रक्रम पर लघु विचारण की अनुमति नहीं देती है। इसी क्रम में यह भी सुस्थापित विधि है कि संज्ञान अपराध का किया जाता है, न कि अपराधी का। अतः आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर कोई व्यक्तिगत अभियुक्त स्वयं के उन्मोचन की अपेक्षा कर सकेगा, यदि वह दर्शित कर सकता है या कर सकती है कि सामग्री अत्यान्तिक रूप से उस विशिष्ट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिए अपर्याप्त है। इस प्रकार आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर ही दोष सिद्ध के प्रयोजन से सामग्री की पर्याप्तता की अपेक्षा नहीं की जाती है और उन्मोचन का अनुरोध केवल तभी अनुज्ञान किया जाता है यदि न्यायालय यह पाता है कि सामग्री विचारण के प्रयोजन से पूर्णतया अपर्याप्त है।

विधि की यह भी सुस्थापित प्रत्यास्थापना है कि जब किसी अभियुक्त के विरुद्ध यहां तक कि ठोस संदेह उत्पन्न करने वाली सामग्री भी हो, तो न्यायालय उन्मोचन के अनुरोध को नामंजूर करने और विधि के अनुसार, संपूर्ण साक्ष्य को अभिलेख पर लाने के अभियोजन को अवसर प्रदान करने में न्यायोचित होगा, जिससे कि दोनों ही पक्षों के मामले पर विचारण की समाप्ति पर समुचित रूप से विचार किया जा सकेगा।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण गंभीर प्रकृति का है, जिसमें अभियुक्तगण राहुल, रोहित रायकवार एवं राजाराम रायकवार द्वारा मजरूब की गाड़ी रूकवाकर उसकी मारपीट की गयी और जैसे ही मजरूब/वादी मुकदमा ने भागने का प्रयास किया तो सहअभियुक्त रोहित द्वारा जान से मारने की नियत से गोली मारकर मौके से भाग जाने का अपराध करना अभिकथित है। विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–३०७, ३४१ भा.द.सं. में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कथित मामला सत्र सुपुर्द होकर आरोप के स्तर पर लम्बित है। आरोप विरचन किये जाने के स्तर पर अभियोजन के साक्ष्य की बारीकी से समीक्षा करना अपेक्षित नहीं है। उन्मोचन प्रार्थनापत्र में उल्लिखित तथ्य साक्ष्य की विषयवस्तु हैं, जिनके सम्बन्ध में निष्कर्ष साक्ष्योपरांत ही सम्भव है। पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के आधार पर आवेदक/अभियुक्तगण राहुल, रोहित रायकवार एवं राजाराम रायकवार के विरुद्ध धारा–३०७/३४, ३४१ भा०द०सं० का अपराध गठित होता है। अतः आवेदक/अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त धारा में आरोप विरचित किये जाने का संतोषजनक आधार हैं। तदनुसार आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र १३बी एवं १८बी बावत उन्मोचन बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्तगण राहुल, रोहित रायकवार एवं राजाराम रायकवार की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र–१३बी एवं १८बी **निरस्त** किये जाते हैं। पत्रावली वास्ते आरोप विरचन भोजनावकाश उपरान्त पेश हो।

दिनांकः११.०३.२०२४

(पी०एन० मिश्र)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।